न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
01/2019	धारा 212 RTA	11.01.2020	24.01.2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रार्थी—

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी सिरसली
2. दलीपकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद जाति जाट निवासी बलारा जिला सीकर
3. मुमताजखां पुत्र फैजूखां कायमखानी निवासी चूरू
4. राजस्थान पब्लिक शिक्षण संस्थान खासोली जरिये अध्यक्ष गोवर्धनसिंह पुत्र शिशुपालसिंह जाति जाट निवासी खासोली
5. सुभितादेवी पत्नी गोवर्धनसिंह जाति जाट निवासी मीठवास तह0 व जिला झुन्झुनू
6. उप पंजीयक, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम खासोली के खेत खसरा नम्बर 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थी सं0 1 से 5 तक के नाम से खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि अप्रार्थी खातेदार को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि सिंचित या असिंचित रूप में फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गई है। जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यों या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 से 5 तक खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया है व भूमि पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्थान बनाकर) कार्य करके भूमि की प्रकृति बदल दी है इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण राज्य पक्ष में बनता है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 से 5 तक के खातेदारों ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि की किस्म व प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पहुंचाई है। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण को बार-बार ऐसा नहीं करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद भूमि पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्थान बनाकर) कार्य करने से नहीं रूका है व भूमि की पूर्णतः प्रकृति बदलने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 द्वारा मद संख्या 3 व 4 में वर्णितानुसार कृत्य

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गई है एवं अप्रार्थी उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को बेदखल करने व उक्त भूमि को सिवाय चक राजकीय घोषित करने हेतु प्रार्थी ने वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी राज्य सरकार के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम खासोली की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि पर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवं किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार के आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्थान बनाकर) का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं करने पंजीबद्ध नहीं करने एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण की आवश्यक प्रकृति के मध्यनजर पैरोकार राज प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रर्थी के पक्ष का प्रतीत होने से दिनांक 11.01.2019 को अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2019 तक बनाये रखने का जारी किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री शिवसिंह राठौड़ एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 को जवाब हेतु दिनांक 15.2.2019 से आदिनांक तक कुल 11 अवसर एवं 11 माह का समय दिया गया परन्तु प्रार्थना पत्र के विरोध में ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश किया जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादगत कृषि भूमि पर शिक्षण संस्थान नहीं बनाया हो एवं भूमि की कृषि प्रकृति को नहीं बदला हो। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा उक्त भूमि पर बनाये गये शिक्षण संस्थान की भूमि को नियमानुसार संपरिवर्तित करवाने का भी कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया अप्रार्थी सं. 4 के न्यायालय में उपस्थित आ जाने से यह माना गया कि अन्य अप्रार्थीगण को भी उक्त प्रकरण की सूचना प्राप्त हो चुकी है क्योंकि अप्रार्थी सं. 5 जो कि अप्रार्थी सं. 4 के अध्य की पत्नी हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 से 3 सह खातेदार हैं। अतः अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कि जाकर पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

पैरोकार राज प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोह हुए जाहिर किया कि वादगत ख.नं. 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी 1 से 5 की खातेदारी की है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 का कब्जा है तथा अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बिना आवासीय व व्यावसायिक संपरिवर्तन अप्रार्थी सं. 4 ने शिक्षण संस्थान व अन्य अप्रार्थीगण ने आवासीय मकानात बना रखे हैं जि पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का खासोली व पेश छाया चित्रों से होती है। अप्रार्थीगण को इस

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

भलीभांति जानकारी हो चुकी है परन्तु अप्रार्थीगण ने असीमित अवसर व समय दिया जाने के बावजूद भी जानबूझकर उक्त भूमि का संपरिवर्तन नहीं कराया है तथा ना ही कोई जवाब पेश किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 से 5 उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ले रहे हैं तथा कृषि भूमि की प्रकृति परिवर्तित कर दी है। अप्रार्थीगण ने उक्त कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्वानुमति भी प्राप्त नहीं की है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरवर्तन कराये वादगत कृषि भूमि को आवासीय व व्यावसायिक उपयोग में लेकर भूमि की कृषि प्रकृति बदल दी है जिससे राज्य सरकार को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना प्रत्यक्ष है। वादगत कृषि भूमि की भूमि धारक राज्य सरकार होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर पैरोकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम खासोली के ख.नं. 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1 से 5 खातेदार अंकित है। पटवारी हल्का खासोली की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2019 के अनुसार ख.नं. 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये हुये आवासीय वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अकृषि कार्यों में उपयोग में लिया जाना अंकित है। प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत छाया चित्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त कृषि भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन तथा भवन के आगे पक्की सड़क का निर्माण किया हुआ है। शिक्षण संस्थान के पास अन्य मकानात भी बने हुए हैं। उक्त शिक्षण संस्थान एवं अन्य मकानात् का अप्रार्थीगण द्वारा विधिवत संपरिवर्तन नहीं कराया गया है एवं ना ही संपरिवर्तन का कोई प्रयास किया जाना परिलक्षित है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली अप्रार्थी सं. 1 से की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 5 द्वारा आवासीय मकानात् एवं शिक्षण संस्थान बिना विधिवत संपरिवर्तन करवाये संचालित किया जा रहा है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 द्वारा वादगत कृषि भूमि का उपयोग बिना उपयोग परिवर्तन कराये अकृषि कार्य हेतु किया जा रहा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। वादगत कृषि भूमि की भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। चूंकि वर्तमान में भी अप्रार्थी सं. 1 से 5 द्वारा प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद उक्त कृषि भूमि का व्यावसायिंक संपरिवर्तन करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा उक्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य निरन्तर किया जा रहा है इसलिए यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि का विक्रय अन्य व्यक्ति को कर सकते है जिससे वाद बहुलता बढ़ेगी तथा अप्रार्थीण अपने इस अवैध कृत्य से भूमि की कृषि प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल देंगे जिससे राजस्थान सरकार को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ती स्थिति में अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से दण्डित किया जाना यह न्यायालय उचित मानता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2019 को ताफैसला दावा पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को उक्त आदेश की पालना करने हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

दिनांकः— 11-01-2019

कमांक : राजस्व/2019/3250-3265

प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नि राजवीर जाति जाट निवासी सिरसली
2. दलीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी बलारा जिला सीकर
3. मुमताज खां पुत्र फैजू खां कायमखानी निवासी चूरू
4. राजस्थान पब्लिक शिक्षण संस्थान खासोली जरिये अध्यक्ष गोवर्धनसिंह पुत्र शिशुपाल सिंह जाति जाट निवासी खासोली
5. सुभीता देवी पत्नी गोवर्धनसिंह जाति जाट निवासी मीठवास तह0 व जिला झुन्झुनू
6. उपपंजीयक, चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अन्तरिम स्थगन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात मय छायाचित्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम खासोली के खेत खसरा नम्बर 1135/1132 तादादी 0.9991 हैक्ट. तहसील चूरू की भूमि में वर्तमान मौका व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें तथा वादगत कृषि भूमि का किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं करें। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.02.2019 को उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू